ए.11018/19/2014 - एमएच-II

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी-I

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 21 जून, 2024.

सार्वजनिक नोटिस

DoPT के कार्यालय ज्ञापन संख्या AB-14017/61/2008-Estt (RR) दिनांक 13.10.2015 के अनुपालन में, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान (AIIPMR), मुंबई में सहायक निदेशक (ओएल), लेवल 10, ग्रुप 'ए' पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा तैयार किया गया है। इसके साथ संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने में रुचि रखने वाले हितधारक, मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन से 30 दिनों की अवधि के भीतर, अवर सचिव (एनसीडी-I), कमरा नंबर-753, ए-विंग, को लिखित रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110108 या ईमेल: anurag.tiwari86@gov.in पर भेज सकते हैं।

अनुराग तिवारी
21/6/2024

(अनुराग तिवारी)
अवर-सचिव, भारत सरकार
दूरभाष क्रमांक: 011-23061510

DFA/8569686

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख: 21/06/2024

अधिसूचना

सा.का.नि.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे(हिन्दी अधिकारी), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1986 को, जहाँ तक उसका संबंध अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में सहायक निदेशक(राजभाषा) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में सहायक निदेशक(राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा, मुंबई, सहायक निदेशक(राजभाषा), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

File No. A 11018/19/2014-MH-II (Computer No. 118122)
Generated from eOffice by VANDANA NIRANJAN, ASO(VN)-MOHFW, ASSISTANT SECTION OFFICER, DOHFW DEPARTMENT on 20/06/2024 03:50 PM

? of 7

0dc7988d-a401-442b-84b8-167dc2b58487.pdf

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक(राजभाषा)	01* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/-रुपये)	चयन	35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से

File No. A 11018/19/2014-MH-II (Computer No. 118122)
Generated from eOffice by VANDANA NIRANJAN, ASO(VN)-MOHFW, ASSISTANT SECTION OFFICER, DOHFW DEPARTMENT on 20/06/2024 03:50 PM

6/20/2024, 3:57 PM

file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/0dc7988d-a401-442b-84b8-1...

0dc7988d-a401-442b-84b8-167dc2b58487.pdf

DFA/8569686

						भिन्न किसी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा अनिवार्य या वैल्कल्पिक विषय के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री। या केन्द्रीय/राज्य सरकारों/स वायत्त निकाय/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस

File No. A 11018/19/2014-MH-II (Computer No. 118122)
Generated from eOffice by VANDANA NIRANJAN, ASO(VN)-MOHFW, ASSISTANT SECTION OFFICER, DOHFW DEPARTMENT on 20/06/2024 03:50 PM

file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/0dc7988d-a401-442b-84b8-1...

DFA/8569686

						थानों में हिंदी और अंग्रेजी शिक्षण का अथवा हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । **वांछनीय:** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड के दसवीं स्तर पर हिन्दी से भिन्न संविधान की 8 वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो।

File No. A 11018/19/2014-MH-II (Computer No. 118122)
Generated from eOffice by VANDANA NIRANJAN, ASO(VN)-MOHFW, ASSISTANT SECTION OFFICER, DOHFW DEPARTMENT on 20/06/2024 03:50 PM

DFA/8569686

0dc7988d-a401-442b-84b8-167dc2b58487.pdf

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नत ट यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35,400-1,12,400 रुपये) में ऐसे कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्षों की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 3:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग5की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

File No. A 11018/19/2014-MH-II (Computer No. 118122)

Generated from eOffice by VANDANA NIRANJAN, ASO(VN)-MOHFW, ASSISTANT SECTION OFFICER, DOHFW DEPARTMENT on 20/06/2024 03:50 PM

6/20/2024, 3:57 PM

file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/0dc7988d-a401-442b-84b8-1...

0dc7988d-a401-442b-84b8-167dc2b58487.pdf

DFA/8569686

			पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित ततस्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7(44900-142400 रुपये) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6(35,400-1,42,400 रुपये) में 10 वर्षों की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं हो। **टिप्पण 3:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे	-सदस्य 4. निदेशक(प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 5. उप महानिदेशक(संबंधित)-स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य। **विभागीय पुष्टि समिति की संरचना** 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य; 2. निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई -सदस्य 3. निदेशक(प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	

File No. A 11018/19/2014-MH-II (Computer No. 118122)
Generated from eOffice by VANDANA NIRANJAN, ASO(VN)-MOHFW, ASSISTANT SECTION OFFICER, DOHFW DEPARTMENT on 20/06/2024 03:50 PM

6/20/2024, 3:57 PM

file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/0dc7988d-a401-442b-84b8-1...

0dc7988d-a401-442b-84b8-167dc2b58487.pdf

DFA/8569686

			केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित ततस्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7(44900-142400 रुपये) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6(35,400-1,42,400 रुपये) में 10 वर्षों की सेवा की हो; (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	4. उप महानिदेशक(संबंधित)- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	

फा. सं. ए.11018/19/2014-एमएच.II

अनुराग तिवारी
21/6/2024

अवर सचिव, भारत सरकार

File No. A 11018/19/2014-MH-II (Computer No. 118122)
Generated from eOffice by VANDANA NIRANJAN, ASO(VN)-MOHFW, ASSISTANT SECTION OFFICER, DOHFW DEPARTMENT on 20/06/2024 03:50 PM

file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/0dc7988d-a401-442b-84b8-1...

6/20/2024, 3:57 PM